

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 11962 /22-2, मुरादाबाद, मार्च- 01 2016
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- मै0 लीला फार्म हाऊस (बैंकट हॉल) द्वारा ग्राम महगाली तहसील सदर जिला बिजनौर की खसरा संख्या-524, 527, 528, 534 बिजनौर-नूरपुर मार्ग कि0मी0 6 आर0एच0एस0 में 0.0465 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग, प्रवेश एवं निकास मार्ग में बाधक 2 वृक्ष यूकेलिप्टस के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग बिजनौर की पत्र संख्या-2699 /14-1,
दिनांक 18-02-2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मै0 लीला फार्म हाऊस (बैंकट हॉल) द्वारा ग्राम महगाली तहसील सदर जिला बिजनौर की खसरा संख्या-524, 527, 528, 534 बिजनौर-नूरपुर मार्ग कि0मी0 6 आर0एच0एस0 में 0.0465 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग, प्रवेश एवं निकास मार्ग में बाधक 2 वृक्ष यूकेलिप्टस के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग बिजनौर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक - 3 प्रतियों में।

भवदीय,



(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग बिजनौर को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रबन्धक, लीला फार्म हाऊस (बैंकट हॉल) ग्राम महगाली तहसील सदर जिला बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।